रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06062025-263631
SG-DL-E-06062025-263631

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2025/ज्येष्ठ 14, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 81
No. 167]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2025/JYAISTHA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 81

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जून, 2025

सं. फा. 19(45)/सचि./परिवहन/2024/107.—इस बात से संतुष्ट होने पर कि नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च गति वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे दो पहिया, तिपहिया और अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे गैर–मोटर चालित वाहनोः कृषि ट्रैक्टरों (ट्रेलरों के साथ या बिना) की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकती है, उनकी भेद्यता और संबंधित गति अंतर और सड़क सुरक्षा पहलुओं से समझौता के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200(1) के साथ धारा 115(धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा आदेश देते हैं कि निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने से निम्नलिखित तरीके से प्रतिबंधित किया जाता हैः

क्र. सं.	सड़कों/क्षेत्रों का नाम	निषिद्ध वाहनों की श्रेणी
क.	एनएच–344एम, बंकोली गांव के पास एनएच 44 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर नरेला, मुंडका, नजफगढ़, द्वारका को जोड़ता है और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भरथल चौक के पास एनएच–248 बी बी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होता है।	1. मोटर साइकिल (स्कूटर और अन्य पहिया वाहन सहित) 2. तिपहिया वाहन (ई–कार्ट और ई–रिक्शा सहित) 3. गैर–मोटर चालित वाहन

<table>
<tr><td>ख.</td><td>एनएच–248 बी बी शिव मूर्ति के पास एनएच संख्या 48 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में भरथल चौक, दिल्ली हरियाणा सीमा को जोड़ता है और हरियाणा राज्य में एनएच–48 पर खेड़की दौला के पास समाप्त होता है।</td><td rowspan="2">4. कृषि ट्रेक्टर (ट्रेलर के साथ या बिना)
5. मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन
6. क्वाड्री–साइकल्स</td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>दिल्ली / हरियाणा राज्य में एनएच–48 का दिल्ली–गुरूग्राम खंड किमी0 14+300 (आरटीआर फ्लाईओवर की शुरूआत से शुरू होकर किमी0 4200+000, (खेड़की दौला यूजर फीस प्लाजा) तक।</td></tr>
</table>

इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 194 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार 2000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 200की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल निम्न–लिखित अधिकारियों को 2000 रूपये की धनराशि के साथ उपर्युक्त अपराध का शमन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:

क. दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उप–निरीक्षक या उससे ऊपर के पद के अधिकारी।

ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के पद के अधिकारी।

प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संयोजित राशि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के "मुख्य शीर्ष 0041, वाहनों पर कर, 101–आईएमवी (शुल्क और जुर्माना)," में जमा की जाएगी।

यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विश्वेन्द्र, विशेष सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd June, 2025

No. F. 19(45)/Tpt./Sectt./2024/107.—On being satisfied that the movement of high speed vehicles on the below mentioned National Highways may pose risk to the safety of certain classes of comparatively slow moving vehicles e.g. two wheelers, three wheelers and other slow moving vehicles like non-motorized vehicles, agricultural tractors (with or without trailers) due to their vulnerability and associated speed differentials and compromise of the road safety aspects, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by Section 115 (read with clause (41) of Section 2) read with section 200(1) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), hereby orders that the following classes of vehicles are prohibited from using the below mentioned National Highways in the following manner:

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name of Roads/Areas</th><th>Category of Vehicles Prohibited</th></tr>
<tr><td>a.</td><td>NH-344M starting from its junction with NH-44 near Bankoli Village Connecting Narela, Mundka, Najafgarh, Dwarka and terminating at its junction with NH-248 BB near Bharthal Chowk in the NCT of Delhi.</td><td rowspan="3">i. Motor Cycles (including scooters and other-wheelers)
ii Three wheelers (including e-Carts and e-Rickshaws);
iii Non-motorized vehicles;
iv Agricultural Tractors (with or without trailers); and
v Multi Axle Hydraulic Trailer Vehicles
vi Quadri-Cycles.</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>NH-248 BB starting from its junction with NH No. 48 near Shiv Murti connecting Bharthal Chowk, Delhi Haryana border in the Union Territory of National Capital Territory of Delhi and terminating near Kherki Daula on NH 48 in the State of Haryana;</td></tr>
<tr><td>c</td><td>Delhi-Gurugram section of NH-48 starting from Km 14+300 (starting of RTR flyover) till Km 42+000 (Kherki Daula User Fee Plaza) in the State of Delhi/Haryana</td></tr>
</table>

The violation of these orders shall attract a fine of Rs. 2000/- in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 194 of the said Act.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the following officers to compound the aforementioned offence with the amount of Rupees 2000/-:

(a) Officers of the rank of Assistant sub-Inspector or above of Delhi Traffic Police;

(b) Officers of the rank of Head Constable and above of Transport Department, Government of the National Capital Territory of Delhi.

The amount compounded by the authorized officers shall be deposited in the "Major Head 0041, taxes on vehicles, 101-IMV (Fees & Fine)", of the Transport Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
VISHWENDRA, Special Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.06 11:43:07 +05'30'